

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1219/2023/10-11/3575

भोपाल, दिनांक 09-08-23

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सिंगरौली जिले में बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत पेयजल प्रदाय हेतु उच्च स्तरीय पानी की टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण हेतु 1.608 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 1.693 हे.) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/154588/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 008/2023-BHO/ दिनांक 11.05.2023

-----0-----


कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	CA scheme shall be uploaded on web portal.	प्रकरण में 6.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग-2 के बिन्दु क्रमांक 13 (iv) पर अपलोड कर दी गई है।
2	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area required for project shall be submitted/ uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ण KML file ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
3	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted	आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 31.07.2023 द्वारा muck calculation and muck disposal scheme प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
5	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा MPRDC, PWD का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई परियोजना क्षेत्र में संचालित नहीं है।
6	As per SIR, the proposal is falling in Elephant corridor. Regarding comments of CWLW shall be submitted	उपरोक्त प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र हाथी कॉरीडोर में आ रहा है। प्रकरण में CWLW का अभिमत प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। इसे औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
7	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup of land required and component wise area calculation प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
8	Administrative approval / sanction letter of the project shall be submitted	आवेदक संस्थान द्वारा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.09.2020 प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से यह कार्यालय सहमत है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय




(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 09-08-23

पृ. क्रमांक/एफ-5/1219/2023/10-11/BS76
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल